

124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplaya
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhi mannai
133.	Kanch tarang, a type of glass harp
134.	Kashtha tarang, a type of xylophone.”.

[F.No.354/117/2017-TRU Pt-II]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: - The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सं. 29/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1194(अ).— एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 670 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6A	5801	कॉरडरॉय कपड़े”.
-----	------	-----------------

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू- भाग II]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 5/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 670(अ), तारीख 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उपखंड (i) में, प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2017

No.29/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1194 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.5/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“6A	5801	Corduroy fabrics.”.
-----	------	---------------------

[F.No.354/117/2017-TRU Pt. II]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: - The principal notification No.5/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 670(E), dated the 28th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सं. 27/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि.1195(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस परिषद् की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 710(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 2.5% में,-

- (i) क्रम संख्या 11, 13, 25, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के समक्ष स्तंभ (3) में “जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो” शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-
- (i) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या
- (ii) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 29 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“29 (क)	0802	अखरोट, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं”;
---------	------	--

(iii) क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि का अंतःस्थापित किया जाएगा,:-

“33 (क)	0813	इमली, शुष्कित” ;
---------	------	------------------